2630

# हिमाचल प्रदेश सरकार
## वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

**Sub:- Diversion of 11.9611 hectare of forest land in favour of HP Power Transmission Corporation Limited for the construction of 220 KV D/C, Transmissin line within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB134/2013 – CHA दिनांक 12-07-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 11.9611 hectare of forest land in favour of HP Power Transmission Corporation Limited for the construction of 220 KV D/C, Transmissin line within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **सात सौ साठ** वृक्षों से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार MG-III near Himri & Parbhi Village में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 32,77,224/-(**बत्तीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौबीस मात्र**) की राशि से कुल **24.00** हैक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।

5 मार्गाधिकार की चौडाई 25 मीटर से अघिक नही होगी।

6 प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टैंशन सटरिंजिंग उपकरण लगाने के लिए **3** मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिंजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा। कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम **4.6** मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों की कांट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रुप से औशधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर की जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

SIFCA
APCCF (FCA)

प्र०मु०अ०पा० हि०प्र०
पावती 2032
दिनांक 31/7/13

PCCF
25/7

8 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

9 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kullu.

10 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

11 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB134/2013 – CHA** **दिनांक 12-07-2013** में जारी सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।(Copy enclosed).

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्य कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

**आदेश अनुसार**
**प्रधान सचिव (वन)**
**हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2**

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated,Shimla-171001 the, 25-7-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt, Kullu, Himachal Pradesh .
6. Sr. Managaer, HP Power Trasnmission Corporation Limited, Sarabai, Bhunter, Distt. Kullu Himachal Pradesh.
7. CCF,Kullu /DFO, Kullu Forest Division & Distt. Kullu ,H.P.
8. Guard File.

**Under Secretary (Forests) to the**
**Govt. of Himachal Pradesh.**